न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या ::— 8 / 2017

1. महिपालसिंह आत्मज स्व. राव जगन्नाथ सिंह जी राजपूत
   निवासी पारसोली तह0 बेगूं के बजाए :—
   1 / 1— अजयसिंह आत्मज स्व. महिपाल सिंह जी राजपूत निवासी पारसोली तह0 बेगूं
   1 / 2— श्रीमति हंसाकुमार पत्नि स्व. महिपाल सिंह जी राजपूत निवासी परसोली तह0 बेगूं

वादीगण

विरूद्ध

1. श्री राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ
2. श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूं
3. श्री जिला वन अधिकारी जी , चितौडगढ.

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री एस.एन.ईनाणी
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार, बेगूं
पैरोकार राज.सरकार

निर्णय दिनांक :— 30.05.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी महिपालसिंह को भूतपूर्व ठीकाना पारसोली (मेवाड) तहसील बेगूं के तत्काली जागीरदार साहब महाराव जी श्री जगन्नाथ सिंह जी ने मौजा पारसोली तह0 बेगूं में स्थित ठीकाने की आराजी नं0 88,87 एवं 88 मे से 26 बीघा 3 बिस्वा भूमि तथा आराजी नं07 मे से 42 बीघा 1 बिस्वा आराजी चाह है कुई सहित कुल भूमि मय हक हकूक सहित दिनांक 30.05.50 तद्नुसार संवत 2007 का जेठसूदी चौदस को पट्टे पर दी गई तभी से इस भूमि पर वादी काबीज चला आ रहा है।

कि उपरोक्त रकबा वतमान आराजी नम्बर 145 में सामील हो गया है और इस आराजी नम्बर 145 को वर्तमान मे वन विभाग के नाम गलत रूप से अंकित कर दिया गया है। जबकि मौके पर कोई वन क्षेत्र नहीं है। उपरोक्त आराजी का रदोबदल राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से वादी के नाम नहीं हो सका जिससे यह रकबा जो ठीकाने के वक्त में बिलानाम था जो बाद में भी बिलानाम अंकित हुआ। और भूप्रबंध वालो ने भी बिलानाम अंकित कर दिया और बाद मे यह बिना किसी आधार के वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि यह आराजी तत्कालीन ठीकाने द्वारा वादी को पट्टे पर दी गई है। पारसोली ठीकाना मेंवाड राज्य के प्रथम श्रेणी के ठीकानो में आता है ओर वहां के जीगरदार साहब को भूमि पट्टे पर देने का पूरा अधिकार था।

यह कि उपरोक्त भमि को पट्टे के आधार पर रेकार्ड मे दर्ज करने हेतु वादी ने राजस्व कर्मचारीयो और अधिकारियो के समख काफी प्रयास किया किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया। वादी के पट्टे के अनुसार साबीक आराजी नम्बर 86, 87 व 88 मे से 26 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी नं0 7 मे से 42 बीघा 1 बिस्वा आराजी चाह कुई सहित कुल भूमि 68बीघा 4 बिस्वा जो वर्तमान में आराजी नं0 145 में रकवा सामील होगया उसे वादी अपने खाते में दर्ज कराने का अधिकारी हैं। यह कि बिना दावा दिनंराक 1 मई 2014 से शरू होती है जबकि वादी को अंतिम रूप से सभी प्रयास करने के वावजूद यह विश्वास हो गया कि बिना हक घोषणा कराये रेकार्ड दुरूस्त नहीं होगा जो प्रतिदिन हो रही हैं।

यह कि आराजीयात मौजा पारसोली तह0 बेगें में स्थित है और खातेदारी हक की घोषणा हेतु वाद होने से यह वाद समायत न्यायालय आप है। यह कि प्रतिवादीगण राजस्थान राज्य व उसके अधिकारी है जिन्हें धारा 80 जा0दी0 के अन्तर्गत नोटिस दिनका 27.05.2014 को दिया गया जिसके 2 माह की अवधी काफी असे पूर्व समाप्त हो चुकी है किन्तु कोई कार्यवाही रेकार्ड सुधार हेतु नहीं हुई जिससे यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादी की यह प्रार्थना हे कि :—

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चितौडगढ)

पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित फरमाया जावे कि मौजा पारसोली तह0 बेगूँ की वर्तमान आराजी नम्बर 145 का 68 बीघा 4 बिस्वा जो साबीक नम्बर 86, 87, 88 एवं 7 से आया है वह वादी के नाम रेकार्ड में बहैसितय खातेदार अंकित किये जाने की घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जावे और वादी को इस रके का खातेदार घोषित यिका जाकर रेकार्ड मे वादी का नाम अंकित फरमाया जावें।

(बी) खर्चा मुकद्मा वकील मेहनताना आदि प्रतिवादीगण से वादी को दिलवाया जावें।

(सी) अन्य सहायक जो सुलभ वादी और न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवायी जावें।

दावा न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में राज0सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ पैरोकार सरकार के रूप में उपस्थित आये तथा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन अपने जवाब में इस प्रकार से कियाकि वाद पत्र की चरण संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है। वाद पत्र की कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। आराजी नम्बर 145 वन विभाग की भूमि है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। आराजी नम्बर 145 विधिक एवं प्रावधान अनुसार जरिये अधिसूचना वन विभाग के नाम दर्ज हुई जिस पर किसी को खातेदारी नहीं दी जा सकती है।

वाद पत्र की चरण संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। आराजी नं0 145 वन भूमि होरक किसी भी व्यक्ति को वन भूमि के खातेदारी अधिकार कानूनन नही दिये जा सकते है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार हैं। वाद पत्र की चरण संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है। वन भूमि के विरूद्ध वाद सुनवाई का न्यायालय श्रीमान को क्षैत्राधिकार नहीं है। वाद पत्र की चरण संख्या 7, 8, 9 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

जवाब दावे के विशेष कथन में निवेदन इस प्रकार से किया कि वाद वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 3 वन विभाग के नाम दर्ज होकर वन विभाग के ही कब्जे एवं वन उपयोग में आ रही है। वादी का न तो कब्जा काश्त पहले था एवं न आज है। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में वाद घोषणा निरस्त योग्य है। यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत पट्टा प्रथम दृष्टया देखेने मात्र से ही फर्जी एवं बनावटी प्रतीत हो रहा है। अतः प्रार्थना है कि वाद वादी खर्चे सहित खारिज फरमावें।

पत्रावली मे प्रतिवादी सं. 3 वनविभाग की ओर से अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। जवाब दावा प्रस्ततुत कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है। वाद वर्ति भूमि को पट्टे पर देने का अधिकार नहीं था। उक्त भूमि राज्य सरकार के घोषणा पत्र से वन भूमि के रूप में दर्ज थीं। वर्तमान में वन भूमि पर वन विभाग द्वारा वन को सुरक्षित किये जाने हेतु चार दीवारी बना रखी है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि आराजी संख्या 145 वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज है जो राजकीय धोषणा पत्र से वन विभाग के दर्ज हुयी जिससे वादी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है वर्तमान में वन विभाग पर वन विभाग द्वारा वानिकी उपयोग में पेड पौधे लगा रखे है एवं पत्थरो की चार दीवारी बना रखी है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार हैं। वाद वर्णित भूमि राज्य सरकार के घोषणा पत्र से वन विभाग के दर्ज हुई है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है एवं वन भूमि को पट्टे पर देने का किसी का कोई अधिकार नहीं था। एवं विधिनुसार वन विभाग की भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जाना कानूनन निषिद्ध हैं।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। वन विभाग की वन भूमि को कानूनन किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार वन भूमि में नहीं दिया जा सकता हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 6 से 9 गलत होकर अस्वीकार है। वाद वादी मियाद बाहर एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से खारीज होने योग्य है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 10 मे वर्णित अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वाद वादी खारिज होने योग्य है। जवाब दावा के विशेष कथन में अंकित किया है कि :–

यह कि वाद वर्णित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होकर वन विभाग के कब्जे में होकर वानिकी उपयोग में आ रही है। वादी का वाद वर्णित भूमि पर न तो कब्जा काश्त था एवं न ही आज है वादी का वाद कब्जे के अभाव में पोषणीय नहीं होने से वाद वादी खारिज योग्य है।

बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि कानूनन वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातदेारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है जिससे भी वादी का वाद खारिज होने योग्य है। यह कि वन भूमि पर वन विभाग द्वारा कई पेड पौधे कन्टूर व वानिकी कार्य किये जा रहे है जो राष्ट्रीय महत्व के कार्य है। यह कि वादी द्वारा वाद में प्रस्तुत पट्टा प्रथम दृष्टया देखने मात्र से ही फर्जी व बनावटी प्रतीत हो रहा है तथा वादी ने इस प्रकार के कई अन्य फर्जी व बनावटी पट्टे बनाकर श्रीमान के समक्ष अन्य कई दावे भी पेश कर रखे है जिससे भी वाद वादी खारिज होने योग्य है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि जवाब वादपत्र प्रतिवादी स्वीकार फरमा वादी का वाद कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न लिखित तनकी पत्र पृथक से कायम कर शामिल पत्रावली किया गया :–

1– आया कि मौजा पारसोली तह0 बेगूं की वर्तमान आराजी नम्बर 145 का 68 बीघा 4 बिस्वा जो साबीक नम्बर 86, 87, 88 एवं 7 से आया है वह वादी के नाम रेकार्ड में बहैसितय खातेदार अंकित किये जाने की घोषणा करा पाने के वादी अधिकारी है?
जिम्मे वादी

2– आया कि वाद वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 3 वन विभाग के नाम दर्ज होकर वन विभाग के ही कब्जे एवं वन उपयोग में आ रही है। वादी का न तो कब्जा काश्त पहले था एवं न आज है। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में वाद घोषणा निरस्त योग्य है? साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत पट्टा प्रथम दृष्टया देखेने मात्र से ही फर्जी एवं बनावटी प्रतीत हो रहा है, वादी का वाद पत्र खारिज किया जाने योग्य है? पैरोकार सरकार

3– वाद वर्णित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होकर वन विभाग के कब्जे में होकर वानिकी उपयोग में आ रही है। वादी का वाद वर्णित भूमि पर न तो कब्जा काश्त था एवं न ही आज है वादी का वाद कब्जे के अभाव में पोषणीय नहीं होने से वाद वादी खारिज योग्य है साथ ही कानूनन वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातदेारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है जिससे भी वादी का वाद खारिज होने योग्य है?
प्रतिवादी वनविभाग

4– आया कि वन भूमि पर वन विभाग द्वारा कई पेड पौधे कन्टूर व वानिकी कार्य किये जा रहे है जो राष्ट्रीय महत्व के कार्य है। यह कि वादी द्वारा वाद में प्रस्तुत पट्टा प्रथम दृष्टया देखने मात्र से ही फर्जी व बनावटी प्रतीत हो रहा है तथा वादी ने इस प्रकार के कई अन्य फर्जी व बनावटी पट्टे बनाकर श्रीमान के समक्ष अन्य कई दावे भी पेश कर रखे है जिससे भी वाद वादी खारिज होने योग्य है?
प्रतिवादी वनविभाग

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी अजयजीत सिंह आत्मज स्व. महिपाल सिंह जी का प्रस्तुत किया , जिसके मुख्य परीक्षण में वादी ने अपने शपथ पत्र की ताईद करते हुए दावा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज प्रदर्श– 1से प्रदर्श 7 तक को प्रदर्श कराते हुए अपने बयान कलमबद्ध कराये वक्त मुख्य परीक्षण प्रतिवादीगण की जिरह निल रही है। पत्रावली में साक्ष्य वादी की पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु अवसर न्यायालय द्वारा दिये गये।

पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। पत्रावली में साक्ष्य वादी की पूर्ण होने के पश्चात उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए वाद वादी का स्वीकार किये जाने का व डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। जबकि पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता वनविभाग द्वारा अपनी बहस अपने जवाब वादपत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि है कि वाद जिस पट्टे के आधार पर वाद पत्र लाया है वह फर्जी पट्टा प्रतीत होता है, वर्तमान में भूमि वनविभाग के खाते में होकर वनविभाग द्वारा चारो ओर पत्थर की बाउण्ड्री बनाई गई है। वादी का कोई कब्जा वादपत्र मे दर्शाई गई भूमि पर नही है। अतः वाद वादी का खारिज फरमाया जावें।

बहस उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गयां। पत्रावली मे वादपत्र एव जवाब दावा के अनुरूप कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का उल्लेख एवं दस्तावेज के गुणावगुण के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है, वादी इस वादपत्र में मौजा पारसोली की
वर्तमान आराजी संख्या 145 का रकबा 68बीघा 04 बिस्वा जो कि साबिक नम्बर 86, 87, 88 व 7 से
आया है वह वादी रेकार्ड में अपने नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करवाना चाहते है। वादी द्वारा इस
तथ्य को सिद्ध कराने के लिए जो दस्तावेज दावा पत्रावली मे प्रस्तुत किये है उनमें प्रदर्श– 1 मूल
पट्टा नम्बर 115/3 प्रस्तुत पट्टे की ईवारत इस प्रकार से है: " सिद्ध महाराजाधिराज महारवाजी
श्री जगन्नाथ सिंह जी बेचनाम कुवर महीपालसिंह जो कि मोजा पारसोली में ठिकाने की आराजीयात
आराजी नम्बर 86 व 87 व 88 मे से 26 बीघा 3 बिस्वा तथा आराजी म्बन 7 मे से 42 बीघा 1बिस्वा
आ.चा. कूई सहीत भुमी कुल हक हकुक तुमको हाथ खर्चे हेतु वक्षीस कि जाती है। सो जोगजो
भोगज्यो था सुकोई चोलठा होगा नही सं. 2007 का जेठ सुध 14 मंगलवार 30.5.50 ई द: उदयसिंह
कोठारी का श्रीमान हजुर साहेब का हुकम से" इस ईवारत से स्पष्ट होता है कि यह पट्टा महाराज
जगन्नाथ सिंह जी के द्वारा जारी नहीं किया गया है क्यो कि उनको कोई हस्ताक्षर अंकित नहीं है
साथ ही ठिकाना की मोहर भी इस पट्टे पर स्पष्ट प्रतीत नही होती हैं। यह पट्टा एक फटे हुए
सादा कागज पर जारी किया हुआ है, साथ ही राव जगन्नाथ सिंह जी के पुत्र महिपालसिंह जी थे
जिनको हाथ खर्चे के लिए कृषि भूमि दिया जाना भी सन्देहारपद है, क्यो कि वादी महिपालसिंह जी
स्वयं जगिरदार पुत्र थे। प्रदर्श– 6 नकल जमाबंदी मौजा पारसोली सम्वत 2068 से 71 की पेश की
है जिसमें वाद वर्णित गत आराजी के नवीन आराजी नम्बर 145 रकवा 172.79 हैक्टर भूमि को
वनविभाग के खाते में दर्ज किया गया है। यानि वर्तमान में यह भूमि वनविभाग की भूमि है। प्रदर्श–7
नकल प्रकरण सं0 6/1985 सीलिं पुराना कानून की है जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान वनाम श्री राव
जगन्नथ सिंह पारसोली के विरूद्ध की गई कार्यवाही अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 अध्याय
111 बी कृषि भमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1963 के तहत निर्णय दिनांक 18.02.
1987 की प्रति है। जिसका अवलोकन किया जाने पर पाया कि जो भूमि सभी को पट्टा नम्बर
115/3 से बक्षीस की गई है उनमें महिपालसिंह , श्री रामस्वरूप ओझा, श्रीमती हेमकुंवर पत्नि
जगन्नाथ सिंह जी, श्रीमति हंसाकुमार पतीन महिपालसिंह जी को बक्षीस की गई वह सभी पारसोली
की भूमि कोटा चितौडगढ रेलवे लाईन में आवाप्त होगयी जिसका मुआवजा बकाया होने का नोट
अंकित किया है। इस सीलिंग कार्यवाही में दर्शाई गई बक्षीस की जमीन में आराजी नम्बर 145 मौजा
पारसोली की भूमि भी है। चूॅकि वर्तमान आराजी संख्या 145 मौजा पारसोली का रकवा काफी बडा
रकबा था, जिसमें से अधिक रकबा रेलवे विभाग को दिया गया जिसका मुआवजा वादी को दिया
जाना बकाया होना दर्शाया है, तथा वाद वर्णित गत आराजी संख्या 86, 87, 88 व 7 जिसके नये
आराजी नम्बर भी 145 बने है जो कि वन विभाग में भूमि दर्शाई गई है, क्या वादी को बक्षीस की गई
आराजी संख्या 86,87,88 व 7 की भूमि रेलवे विभाग की भूमि में है या वन विभाग की भूमि में मर्ज
हुई है, यह तथ्य किसी ठोस दस्तावेज से वादी स्पष्ट नही करा सके है। प्रदश– 2 नोटिस अन्तर्गत
धारा 80 जा.दी. की प्रति है जो कि वादी द्वारा राज0सरकार व तहसीलदार बेगूॅ व वनविभाग को
दिया गया था उसकी प्रति है। प्रदर्श–3 प्रदर्श–4 व प्रदर्श– 5 नोटिस भिजवाने की रसीद हैं।

इस दावा पत्रावली में एक पत्र जो कि उप वन संरक्षक चितौडगढ द्वारा अधिवक्ता
श्री सत्यनारायण ईनाणी एडवोकेट को जरिये पत्र कमांक 5342 दिनांक 11.6.14 से नोटिस अन्तर्गत
धारा 80 जा.दी. के कम में लिखा है। जिसमें अंकिमत किया है कि मौजा पारसोली के खसरा नं.
145 रकवा 1062.15 वीघा भूमि आरक्षित वन खण्ड उॅटखोरा व रक्षित वनखण्ड देवलच्छ का वन क्षैत्र
है। राजस्व रेकार्ड में यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। तथा वन खण्ड उॅटखेरा मेवाड
नोटिफिकेशन नं. एफ (1) वन/52–54 दिनांक 21.1.1952 से आरक्षित वन घोषित हो चुका है तथा
वनखण्ड देवलच्छ मेवाड नोटिफिकेशन नं. एफ(1) (6) (26) दिनांक 1.6.74 से रक्षित वन घोषित हो
चुका है। इस प्रकार सभी दस्तावेज के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी को पट्टा कमांक
115/3 द्वारा वक्षीस में दी गई भूमि मौजा पारसोली के वर्तमान आराजी संख्या 145 है की भूमि
रेलवे विभाग की भूमि है या वन विभाग की भूमि है वादी ने कही स्पष्ट नही किया है, जैसा कि
सीलिंग निर्णय में स्पष्ट अंकित है कि मौजा पारसोली की आराजी संख्या 145 में बक्षीस की गई भूमि
का मुआवजा लिया जाना शेष है तो वादी को मुआवजा प्राप्त करने की कार्यवाही नियमानुसार करनी
चाहिए। साथ ही जो भूमि राज्य सरकार द्वारा उनके नोटिफिकेशन नं. एफ (1) वन/52–54 दिनांक
21.1.1952 से आरक्षित वन घोषित हो चुकी है उसको प्राप्त करने के लिए वादी द्वारा वर्ष 2017 में

(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ)

प्रस्तुत किया गया है, जबकि वादी का वर्णित भूमि में कही भी कब्जा व काश्त होना इस दावा पत्रावाली में वादी सिद्ध नहीं करा सके है क्यो कि वादी द्वारा वर्णित भूमि को वन विभाग की भूमि में शामिल होना बताया है जबकि वनविभाग द्वारा उक्त वनभूमि पर चारो तरफ पत्थर दीवार होना बताया गया है। यहॉ यह भी वादी ने स्पष्ट नही कराया है कि क्यो गत आराजी संख्या 86,87,88 व 7 जिसके नवीन आराजी नम्बर 145 बने है, इसमें से आराजी नम्बर 145 के कितने रकबे को वादी की मिल्कीयत होना जागीर कमिश्नर ने माना है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज को वादी मौजा पारसोली की वर्तमान आराजी संख्या 145 का रकबा 68बीघा 04 बिस्वा जो कि साबिक नम्बर 86, 87, 88 व 7 से आया है वह वादी रेकार्ड में अपने नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2– तनकी नम्बर 2 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी राज.सरकार का है। जैसा कि तनकी नम्बर 1 में स्पष्ट किया जा चुका है कि वादी का कब्जा काश्त वर्तमान आराजी संख्या 145 रकवा 68बीघा 4 बिस्वा पर नहीं है तथा वर्णित भूमि वनविभाग की भूमि होकर चारो ओर वनविभाग की पत्थर कोट की हुई है। साथ ही वादी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 115/3 के संदिग्ध होने का अंकन तनकी नम्बर 1 में किया गया है। चूँकि वादी का वर्णित भूमि में पर कब्जा काश्त नहीं है तथा वादी यह भी स्पष्ट नहीं करा पाये है कि वर्तमान आराजी नम्बर 145 की भूमि जो वे प्राप्त करना चाहते है वह रेलवे विभाग की भूमि में सम्मिलित है या वन विभाग की भूमि में है, क्यो कि सीलिंग निर्णय में भी मौजा पारसोली की आराजी संख्या 145 का रकबा रेलवे भूमि में आवाप्त हुआ है जिसका मुआवजा भी वादी को लेना शेष है। वादी अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध कराने में असफल रहे है। जिससे यह तनकी नम्बर 2 बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णितय की जाती है।

3– तनकी नम्बर 3 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी वन विभाग का है। जैसा कि तनकी नम्बर 1 में वादी अपने वाद को सिद्ध कराने में असफल रहे है, साथ ही वर्णित भूमि वन विभाग की भूमि है जिसमें वादी का कही भी कब्जा काश्त होना वादी ने सिद्ध नहीं कराया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा वन खण्ड उँटखेरा मेवाड नोटिफिकेशन नं. एफ (1) वन/52–54 दिनांक 21.1.1952 से आरक्षित वन घोषित हो चुका था तो वादी द्वारा इतने विलम्ब से यह वाद क्यो प्रस्तुत किया है। साथ ही कानूनन वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार यह तनकी बहक प्रतिवादी वनविभाग के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

4– तनकी नम्बर 4 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी वन विभाग का है। जैसा कि वाद वर्णित वर्तमान आराजी मौजा पारसोली की आराजी संख्या 145 जो कि वनभूमि है जिसमें वानिकी कार्य वन विभाग द्वारा किये जा रहे है जो कि राष्ट्रीय महत्व क`कार्य है तथा वनविभाग की भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर बहकस प्रतिवादी वन विभाग के पक्ष मे सिद्ध की जाती हैं।

इस प्रकार इस दावा पत्रावली में कायम की गई सभी तनकीयात दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी के पक्ष में सिद्ध करा पाने में वादी पूर्णतया असफल रहे है। जिससे वादी का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता हैं।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सवूत से वादी सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे है। जिससे वादी का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिंनाक 30.05.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या ::— 8/2017

1. महिपालसिंह आत्मज स्व. राव जगन्नाथ सिंह जी राजपूत
निवासी पारसोली तह0 बेगूँ के बजाए :—
1/1— अजयसिंह आज्मज स्व. महिपाल सिंह जी राजपूत निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
1/2—श्रीमति हंसाकुमार पत्नि स्व. महिपाल सिंह जी राजपूत निवासी परसोली तह0बेगूँ
वादीगण

विरूद्ध

1. श्री राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ
2. श्रीमान तहसीलदार साहव बेगूँ
3. श्री जिला वन अधिकारी जी , चितौडगढ.

प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 88 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनरायण ईनाणी की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री पैरोकार सरकार की उपस्थिती में वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.05.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता हैः—

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से वादी सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे है। जिससे वादी का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ